न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
03/2022	24/02/2022	25.11.2025

भुवनेश कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जाति लखेरा निवासी इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश पुत्र श्री हजारीलाल जाति काछी
2. पुरुषोतम पुत्र श्री हजारीलाल जाति काछी नि० करवाड तह०पीपल्दा
3. गायत्री पत्नि श्री स्व. जगदीश
4. ना. केशव पुत्र स्व. जगदीश जातियान काछी निवासी करवाड़
5. ना. अरविन्द पुत्र स्व. जगदीश जरिये संरक्षक नाबा की वली माता गायत्री
6. सी.ए.डी विभाग जरिये अधिशाषी अभियंता इटावा, सी.ए.डी कार्यालय इटावा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तह० पीपल्दा जिला कोटा राज

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हेमन्त शर्मा एड0।
अप्रार्थी कम 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री नन्दकिशोर पारेता एड0।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (ए) आर0टी0एक्ट0

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 5 समीपवर्ती काश्तकार है। प्रार्थी ग्राम पाडली पटवार हल्का शोभागपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में खाता संख्या 127 खसरा संख्या 355 रकबा 1.63 हैक्टेयर का रिकॉर्डेड एवं काबिजी कृषक है। प्रार्थी के समीपवर्ती कृषक 1 लगायत 5 के राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पाडली पटवार हल्का शोभागपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे खाता संख्या 62 खसरा संख्या 351 व खसरा संख्या 354 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर के भू–धारक है प्रार्थी व अप्राथीगण की कृषि भूमि के उत्तर दिशा में आवागमन का मार्ग के रूप में खसरा संख्या 352 गैरमुमकिन नहर के खसरा नम्बर को प्रार्थी व अप्रार्थीगण रास्ते एवं सिचाई के साधन के रूप में उपयोग में लाते रहे है। प्रार्थी व

अप्रार्थीगण उक्त वर्णित खसरा संख्या 352 से होकर अपनी–अपनी कृषि भूमियो पर आवागमन हेतु मार्ग के रूप में उक्त खसरा संख्या का उपयोग उपभोग करते हुये आ रहे है। समीपवर्ती कृषक खसरा संख्या 354 के भूधारक दिनेश पुत्र हजारीलाल द्वारा विगत् कुछ समय पूर्व खसरा संख्या 352 में अतिक्रमण कर प्रार्थी के खसरा संख्या 355 के सामने प्रार्थी के खसरा के प्रवेश द्वार पर अतिक्रमण कर धोरा एवं रास्ते को बंद कर ईटों का पिल्लर बना कर लोहे का 10 फीट चौडा गैट लगा दिया है एवं तार की जाली लगाकर प्रार्थी का प्रवेश अवरूद्ध कर दिया है। उक्त मार्ग प्रार्थी की कृषि भूमि पर प्रार्थी की पहुच का एक मात्र उपलब्ध मार्ग है, उक्त मार्ग पर अतिक्रमण हो जाने की दशा में प्रार्थी का अपनी ही कृषि भूमि पर रास्ते एवं सिंचाई के धोरे के अभाव में कृर्षि कार्य कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से वाछिंत खसरा नम्बर के पूर्ववत 15–20 फिट चौडा मार्ग सुचारू रूप से पूर्ववत प्राप्त कर अपनी कृषि भूमि पर अपनी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें तदर्थ यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की सेवा मे प्रस्तुत है, प्रार्थी मार्ग का वैधानिक शुल्क माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जमा करवाने हेतु तत्पर है। प्रार्थी द्वारा तत्सम्बन्धी निवेदन कई बार राज्य शासन के प्रतिनिधि तहसीलदार महोदय पीपल्दा एवं श्रीमान अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता सी.ए.डी विभाग इटावा को कई बार किये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा कोई ध्यान नही दिये जाने से एवं उक्त मार्ग एवं धोरे को सुचारू रूप से नियमित नही करवाये जाने एवं अप्रार्थीगण के अतिक्रमण को नही हटवाये जाने से प्रार्थी को विवश होकर माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत होना पडा है। उक्त वर्णित विधि अनुसार प्रार्थी न्यायालय श्रीमान के निर्देश एवं आदेश शर्तों के अध्यधीन प्रार्थी विधिविहित शुल्क अदा कर उक्त मार्ग को राजस्व अकंन एवं राजस्व नक्शे मे तद्नुसार संशोधित करवाकर मार्गाधिकार प्राप्त करनें का पात्र है, तदर्थ यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की सेवा मे प्रस्तुत है। खसरा नम्बर 352 वाछिंत मार्ग के भू:स्वामी सी.ए.डी विभाग होने से सी.ए.डी विभाग के अधिशाषी अभियंता महोदय को आवश्यक पक्षकार अप्रार्थी के रूप में संयोजित किया जा रहा है। उक्त मार्ग की सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे दर्ज की जा रही है, उक्त वाछिंत मार्ग को परिशिष्ट अ मे अ.ब.स.द बिन्दुओ से दर्शित किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हैतु वाद कारण विगत् दिनांक 30.08.2021 को राजस्व टीम

पीपल्दा द्वारा मौका निरिक्षण कर मौका निरिक्षण रिपोर्ट तैयार करने पर एवं प्रार्थी के मार्गाधिकार को अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण कर अवरुद्ध करने पर प्रार्थी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णितानुसार एंव संलग्न परिशिष्ट अ में वर्णित अनुसार प्रार्थी को खसरा संख्या 352 गै.मु.नहर से प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड के खसरा संख्या 355 तक अप्रार्थी द्वारा कारित अतिक्रमण को हटाया जाकर 15–20 फिट चौडा मार्ग मुताबिक राजस्व रिपोर्ट प्रार्थी से वैधानिक शुल्क जमा करवाया जाकर प्रार्थी को उक्त वर्णित मार्गाधिकार प्रदान करने हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री हेमन्त शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 6 की ओर से नन्दकिशोर पारेता एड0 ने पेश किया। जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो अग्रलिखित है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम पाडली के ख0सं0 355 रकबा 1.63है0 की भूमि माल प्रथम वादी भुवनेश कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार हि0 पूर्ण जाति लखेरा (लखारा) सा0 इटावा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा नहर से अपनी उपरोक्त आराजी भूमि ख0सं0 355 तक कृषि कार्य हेतु रास्ता चाहने बाबत बाद दायर किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी ख0सं0 359 रकबा 0.55है0 कि0भू0 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है जो वादी के ख0सं0 355 की पूर्व दिशा के साथ लगता हुआ है जो मौके पर प्रचलित नहीं है रास्ते को पडोसी खातेदारों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है जिसकी पटवारी हलका द्वारा धारा 91 की कार्यवाही की गई है जिसमें वादी भी शामिल है यदि इस रास्ते की अतिक्रमण मुक्त करवा दिया जाता है तो वादी सहित अन्य भू–खाताधारकों को भी रास्ते की समस्या से निजात मिल सकेगी। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ख0सं0 354 रकबा 0.75है0 कि0भू0 माल प्रथम खातेदार दिनेश, पुरूषोत्तम पुत्रान हजारीलाल वगै0 जाति काछी सा0 करवाड खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो ख0सं0 352 रकबा 0.86है0 कि0भू0 नहर व ख0सं0 355 (वादी) के मध्य वादी के पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। प्रार्थी के आराजी ख0सं0 355 के उत्तरी–पश्चिमी कोना आराजी ख0सं0 352 रकबा 0.86हे0 कि0 भू0 गै0मु0 नहर के समीप है यदि प्रार्थी की मांग के अनुसार ख0सं0 354 में से 10 फीट लम्बा व 10 फीट चौडा भूखण्ड रासते के खा में दिया

जाता है तो वादी अपने खेत से नहर तक आसानी से कृषि कार्य हेतु आ जा सकता है।

बहस सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। जवाब सरकार में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट दिनांक 22.04.2022 के के अनुसार " राजस्व रेकार्ड के अनुसार आराजी ख0नं0 359 रकबा 0.55है0, किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज रेकार्ड है। जो वादी के ख0नं0 355 की पूर्व दिशा के साथ लगता हुआ है। उक्त रास्तों पर पडोसी खातेदारान द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। अतः मौके पर प्रचलित नहीं है। रास्ते के उक्त अतिक्रमियों में वादी भी अतिक्रमी है। यदि इस रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया जाता है तो वादी सहित अन्य खातेदारान को भी रास्ते की समस्या से निजात मिल सकेगी।" उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि वादी के खातेदारी ख0नं0 355 रकबा 1.63है0 से सटवां रास्ता राजस्व रेकार्ड में ख0नं0 359 रकबा 0.55है0 दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार यह प्रकरण नवीन रास्ते का नहीं होकर पुराने रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने का है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है ग्रमा पाडली पटवार मण्डल सोभागपुरा तह0 पीपल्दा के आराजी ख0नं0 359 रकबा 0.55 किस्म गै0मु0 रास्ता पर हुए अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटाकर रास्ता खुलासा कराए।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा